University of Lucknow | Centennial Celebrations
लखनऊ विश्वविद्यालय | शताब्दी उत्सव

दिनांक 11 जून, 2021 को सम्पन्न कार्य परिषद की बैठक 02/2021 की कार्यवाही

उपस्थिति

1-	प्रो0 आलोक कुमार राय, कुलपति,	:–अध्यक्ष
2-	प्रो0 सी0पी0 सिंह, अधिष्ठाता, विधि संकाय	:–सदस्य
3-	प्रो0 तृप्ता त्रिवेदी, अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	:–सदस्य
4-	प्रो0 दिनेश कुमार	:–सदस्य
5-	प्रो0 अमिता कन्नौजिया	:–सदस्य
6-	प्रो0 के0के0 अग्रवाल	:–सदस्य
7-	डॉ0 श्रवन कुमार	:–सदस्य
8-	डॉ0 मीनाक्षी पहवा	:–सदस्य
9-	डॉ0 कामना श्रीवास्तव **(उपस्थिति ई–माध्यम)**	:–सदस्य
10-	डॉ0 संगीता श्रीवास्तव **(उपस्थिति ई–माध्यम)**	:–सदस्य
11-	प्रो0 कृपा शंकर	:–सदस्य
12-	श्री अंशु टंडन	:–सदस्य
13-	श्री धर्मेन्द्र सिंह	:–सदस्य
14-	डॉ0 विनोद कुमार सिंह, कुलसचिव	:–पदेन सचिव

प्रो0 आनन्द मुरारी सक्सेना, परीक्षा नियन्त्रक एवं श्री मुकेश कुमार जैन, वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ भी बैठक में उपस्थित रहे।

बैठक के आरम्भ में परिषद द्वारा नवागत कार्य परिषद सदस्यगण प्रो0 दिनेश कुमार एवं प्रो0 के0के0 अग्रवाल का स्वागत किया गया तथा निवर्तमान कार्य परिषद के सदस्यगण प्रो0 कविराज एवं प्रो0 विभूति राय को कार्य परिषद सदस्य के रूप में दिये गये सहयोग एवं योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

मा0 कुलपति/अध्यक्ष द्वारा कुलपति के रूप में किये गये कार्यो से सदन को अवगत कराते हुए विश्वविद्यालय द्वारा कोरोना काल में अपने सामाजिक दायित्वों के तहत किये गये कार्यो से सदन को अवगत कराया। उन्होने यह भी अपील की कि कोरोना काल में विश्वविद्यालय में अध्यनरत ऐसे छात्र/छात्राओं को जिनके माता अथवा पिता का निधन हुआ हो उनको यदि कोई गोद लेकर उनकी शिक्षा का दायित्व पूरा करने चाहते है आगे आकर अपने सामाजिक दायित्व को पूर्ण करें। जिसकी पहल के रूप में मा0 कुलपति जी द्वारा एक ऐसे छात्र का सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क वहन करने की घोषणा की। इस क्रम में कुलसचिव/सचिव कार्यपरिषद द्वारा भी एक छात्र के सम्पूर्ण शुल्क का दायित्व वहन करने के संकल्प से सदन को अवगत कराया।

तत्पश्चात माननीय कुलपति जी के निदेशानुसार कुलसचिव/पदेन सचिव, द्वारा कार्य परिषद की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

बैठक की कार्यसूची 02/2021

विनिश्चय संख्या 01:– कार्य परिषद (संख्या 01/2021) दिनांक 23-03-2021 की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं कृत कार्यवाही परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

कार्य परिषद की बैठक (संख्या 01/2021) दिनांक 23-03-2021 कार्यवाही की पुष्टि एवं कृत कार्यवाही पर सदन द्वारा पुष्टि प्रदान की गयी।

विनिश्चय संख्या 02:– वित्त समिति की बैठक दिनांक 05.06.2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि पर विचार।

मा0 कार्य परिषद द्वारा वित्त समिति की बैठक दिनांक 05-06-2021 के कार्यवृत्त पर चर्चापरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 03:– लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा काल में मृत्यु उपरान्त उनके आश्रितों को मृतक आश्रित सेवा नियमावली के अर्न्तगत उनकी योग्यतानुसार नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति मा0 परिषद के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

प्रकरण पर गठित समिति की रिपोर्ट पर व्यापक विचार विमर्श के उपरान्त मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निम्नवत निर्णय लिये गये:–

1. ऐसे मृतक आश्रित जिनके माता/पिता तृतीय श्रेणी अथवा उससे उच्च श्रेणी के पदों पर कार्यरत थे एवं कनिष्ठ सहायक के पद के लिये वर्णित शैक्षिक अर्हता पूर्ण करते हैं उनकी नियुक्ति की जाय। नियुक्ति पत्र में शासनादेशानुसार निर्धारित अवधि में समस्त पात्रता/अर्हता पूर्ण करने की शर्त का उल्लेख किया जाय अन्यथा शासनादेशानुसार कार्यवाही किये जाने का भी उल्लेख किया जाय।
2. ऐसे मृतक आश्रित जिनके माता/पिता चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कार्यरत थे तथा समिति द्वारा उन्हें चतुर्थ श्रेणी में अर्हतानुसार नियुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है उन्हें शासनादेशों में वर्णित अर्हता पूर्ण होने की स्थिति में नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाय।
3. ऐसे मृतक आश्रित जिनके माता/पिता चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कार्यरत थे एवं वे तृतीय श्रेणी के पद की शैक्षिक अर्हता पूर्ण करते हैं उनके प्रकरण पर संगत शासनादेशों के आलोक में विचार हेतु कार्य परिषद द्वारा निम्नवत समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया:–
   1. प्रो0 कृपा शंकर, मा0 सदस्य कार्य परिषद।
   2. श्री धर्मेन्द्र सिंह, मा0 सदस्य कार्य परिषद।
   3. श्री अंशु टंडन, मा0 सदस्य कार्य परिषद।

   समिति ऐसे प्रकरणों पर भी विचार करेगी जिनकी शैक्षिक योग्यता उच्च स्तर की है ऐसे मृतक आश्रित को उनकी योग्यतानुसार किस प्रकार संस्था के श्रेष्ठतम हित में नियोजित किया जाय।

विनिश्चय संख्या 04:– प्रो0 अनिल कुमार शुक्ला, शिक्षा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 09.04.2021 अपरान्ह् से तीन वर्ष हेतु वेतन एवं भत्तों रहित तथा विशेष अवकाश की अवधि में वेतन वृद्धियों जो नियमित कार्य करने पर देय होती, अनुमन्य होंगी की शर्तो के अधीन विशेष अवकाश स्वीकृत करने सम्बन्धी प्रकरण कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रो0 अनिल कुमार शुक्ला को दिनांक 09.04.2021 अपराह्न से तीन वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति तिथि जो भी पहले हो, पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

विनिश्चय संख्या 05:– असिस्टेंट प्रोफेसर (संविदा) के पद पर कार्यरत डॉ0 सोनिया आनन्द, द्वारा व्यक्तिगत कारणों से प्रस्तुत त्यागपत्र पर मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निर्गत पत्र संख्या टी–5851–55 दिनांक 26.03.2021 मा0 परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 06:– लखनऊ विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता, ऐकेडमिक सेल, अधिष्ठाता, रिसर्च सेल, अधिष्ठाता, रिक्रूटमेन्ट एण्ड ऐससमेन्ट सेल, अधिष्ठाता, प्रवेश एवं निदेशक, नवीन परिसर के पदो को परिनियम के Chapter IIA में प्रस्थापित किये जाने सम्बन्धित प्रस्ताव परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

मा0 परिषद के समक्ष निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किये गयें:–

(i) Dean Academics:–विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में अद्यतन अधिष्ठाता (एकेडमिक्स) की व्यवस्था नहीं हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय एक बहुविषयी संस्था हैं, नई शिक्षा नीति में जहॉ विभागो व संकायो के वर्गीकरण (Strict Compartmentlisation) को न्यून किया गया हैं। अतः एक ऐसे व्यवस्था की महती आवश्यकता हैं, जो विभिन्न विभागों व संकायो में सामंजस्य का कार्य करें, जिससे अर्न्तविषयी शिक्षा का सरल व सुगम संचालन सुनिश्चित हो सके। व्यवस्था में विकेन्द्रीकृत निर्णय प्रक्रिया की स्थापना, शैक्षणिक व्यवस्था के वहुविषयी विश्वविद्यालय में सुव्यवस्थित संचालन व्यवस्था में सामूहिक सहभागिता के दृष्टिगत भी Dean (Academics) का विशेष महत्व हैं। अतः विश्वविद्यालय में शिक्षण–प्रशिक्षण की गुणवत्ता में वृद्वि हेतु Dean (Academics) की नियुक्ति आवश्यक हैं। इस सन्दर्भ में कार्य परिषद द्वारा दिनांक 20.03.2020 को अन्य मद के विनिश्चय सं0 02 के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान किया जा चुका हैं, अतः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973(यथासंशोधित) की धारा 49(c), 50(2) एवं 50(4) के अन्तर्गत अधिष्ठाता (एकेडमिक्स) के पद को विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमावली के Chapter II A के परिनियम 2.02.01 से 2.02. 07 के रुप में निम्नानुसार स्थापित किया जाना प्रस्तावित हैं:–

क्रम सं0	विद्यमान परिनियम की स्थिति	परिनियम में स्थापना का प्रस्ताव	
1.	पूर्व से विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में स्थापित नहीं हैं।	**2.02.01-A**	The Vice-Chancellor shall appoint a Dean Academics who shall not be below the rank of Professor and two Associate Deans (Academics) who shall be the teachers of the University.
		2.02.02-A	The Dean (Academics) and Associate Deans (Academics) shall hold office for a period which shall be Co-terminus with that of the Vice-Chancellor. However, it shall be the prerogative of the Vice-Chancellor to appoint a new Dean (Academics) and Associate Deans (Academics) during his tenure.
		2.02.03-A	The posts of Dean (Academics) and Associate Deans (Academics) shall be Honorary in nature
		2.02.04-A	The Dean (Academics) and Associate Deans (Academics) shall discharge their duties in addition to their duties as a teacher.
		2.02.05-A	Dean (Academics) shall be a member of the Admissions Committee and the Examinations Committee
		2.02.06-A	The Dean (Academics) shall:
		(i)	be responsible for Industry-Academia collaborations/interface and partnerships. will coordinate & facilitate (In partnership with the departments) collaborations, which include international collaborations; inter institutional collaborations as-well-as interdepartmental collaborations.
		(ii)	advice and co-ordinate initiation of new programmes, establishment of Chairs/Partnerships.
		(iii)	facilitate publication of journal by Department/Institutes as well as availability of relevant Journals.
		(iv)	be responsible for assignment of unassigned grants (UGC) for promotion of research activities; international visits; international exchange programmes, publications; conduct of seminars, conferences etc.
		(v)	be responsible for facilitating visits of international and national faculty for short duration, for teaching assignment at the University as per UGC & other provisions.
		(vi)	be responsible for co-ordination/facilitation of all academic activities of RUSA and Centre for Excellence across Departments and will act as 'office of records' for all academic activities.
		(vii)	shall also be responsible for any other task assigned by the Vice-Chancellor.
		2.02.07-A	The Associate Deans (Academics) shall assist the Dean (Academics) in his responsibilities.

(ii) **Dean Research:**-विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में अद्यतन अधिष्ठाता (शोध) की व्यवस्था नहीं हैं। नई शिक्षा नीति में अर्न्तविषयी शोध को बढ़ावा देने पर बल दिया गया हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय एक बहुविषयी संस्था हैं, जिसमें अर्न्तविषयी शोध के विभिन्न आयाम प्रचलित हैं। शोध, विश्वविद्यालयों का एक प्रमुख दायित्व हैं, शोध प्रोजेक्टस को बढ़ावा देने, अर्न्तविषयी शोध पर बल देने व शोध की संरचना के नीति निर्माण इत्यादि के सन्दर्भ में सहयोग करने के लिये Dean (Research) की महती आवश्यकता हैं। व्यवस्था में विकेन्द्रीकृत निर्णय प्रक्रिया की स्थापना, शैक्षणिक व्यवस्था के सुव्यवस्थित संचालन में सहभागिता के दृष्टिगत भी Dean (Research) का विशेष महत्व हैं। अतः विश्वविद्यालय

में शिक्षण शोध की गुणवत्ता में वृद्वि हेतु Dean (Research) की नियुक्ति आवश्यक हैं। इस सन्दर्भ में कार्य परिषद द्वारा दिनांक 20.03.2020 को अन्य मद के विनिश्चय सं0 02 के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान किया जा चुका हैं, अतः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) की धारा 49(c), 50(2) एवं 50(4) के अन्तर्गत अधिष्ठाता (शोध) के पद को विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमावली के Chapter II A के परिनियम 2.03.01 से 2.03.06 के रुप में निम्नानुसार स्थापित किया जाना उचित हैं:–

क्रमसं0	विद्यमान परिनियम की स्थिति	परिनियम में स्थापना का प्रस्ताव
1.	पूर्व से विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में स्थापित नहीं हैं।	**2.03.01-A** The Vice-Chancellor shall appoint a Dean (Research) who shall not be below the rank of Professor and two Associate Deans (Research) who shall be the teachers of the University. **2.03.02-A** The Dean (Research) and Associate Deans (Research) shall hold office for a period which shall be Co-terminus with that of the Vice-Chancellor. However, it shall be the prerogative of the Vice-Chancellor to appoint a new Dean (Research) and Associate Deans (Research) during his tenure. **2.03.03-A** The posts of Dean (Research) and Associate Deans (Research) shall be Honorary in nature **2.03.04-A** The Dean (Research) and Associate Deans (Research) shall discharge their duties in addition to their duties as a teacher. **2.03.05-A** The Dean (Research) shall: (i) facilitate administration of research activity/work/projects in the University (ii) provide support in planning and execution of research and identifying projects from different funding agencies. (iii) motivate faculty members to apply for research projects to different funding agencies. (iv) Help smoothening the project related file movements by suggesting, supporting and creating procedures in the system. (v) will act as 'office of records' for research projects/grants, publications; patents and research activities undertaken by the Centre of Excellence. (vi) facilitating the utilization of grants and timely submission of utilization certificates. (vii) shall also be responsible for any other task assigned by the Vice-Chancellor. **2.03.06-A** The Associate Deans (Research) shall assist the (Dean Research)

(iii) Dean Recruitment & Assesment Cell:—विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में अद्यतन अधिष्ठाता (रिक्रूटमेन्ट एण्ड एसेसमेन्ट सेल) की व्यवस्था नहीं हैं। नियुक्तियों में गति व पारदर्शिता अत्यन्त आवश्यक हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे बड़े विश्वविद्यालयों के लिये यह आवश्यक हैं कि एक ऐसी व्यवस्था हो, जो व्यवस्था के विभिन्न अवयवों

के मध्य सामन्जस्य स्थापित करके, इनको गति देने व नियुक्ति, प्रमोशन इत्यादि को समय सीमा के अन्तर्गत पूरा कर सके।व्यवस्था में विकेन्द्रीकृत निर्णय प्रक्रिया की स्थापना, शैक्षणिक व्यवस्था के सुव्यवस्थित संचालन व्यवस्था में सामूहिक सहभागिता के दृष्टिगत भी Dean (Recruitment & Assesment Cell) का विशेष महत्व हैं। अतः विश्वविद्यालय में नियुक्ति प्रक्रिया की गुणवत्ता में वृद्वि हेतु Dean (Recruitment & Assesment Cell) की नियुक्ति आवश्यक हैं। इस सन्दर्भ में कार्य परिषद द्वारा दिनांक 20.03.2020 को अन्य मद के विनिश्चय सं0 02 के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान किया जा चुका हैं। अतः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) की धारा 49(c), 50(2) एवं 50(4) के अन्तर्गत अधिष्ठाता (रिक्रूटमेन्ट एण्ड एसेसमेन्ट सेल) के पद को विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमावली के Chapter II A के परिनियम 2.04.01 से 2.04.06 के रुप में निम्नानुसार स्थापित किया जाना प्रस्तावित हैं:–

क्रम सं0	विद्यमान परिनियम की स्थिति	परिनियम में स्थापना का प्रस्ताव
1.	पूर्व से विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में स्थापित नहीं हैं।	**2.04.01-A** The Vice-Chancellor shall appoint a Dean (Recruitment & Assessment) who shall not be below the rank of Professor and two Associate Deans (Recruitment & Assessment) who shall be the teachers of the University. **2.04.02-A** The Dean (Recruitment & Assessment) and ssociate Deans (Recruitment & Assessment) shall hold office for a period which shall be Co-terminus with that of the Vice-Chancellor. However, it shall be the prerogative of the Vice-Chancellor to appoint a new Dean (Recruitment & Assessment) and Associate Deans (Recruitment & Assessment) during his tenure. **2.04.03-A** The posts of Dean (Recruitment & Assessment) and Associate Deans (Recruitment & Assessment) shall be Honorary in nature **2.04.04-A** The Dean (Recruitment & Assessment) and Associate Deans (Recruitment & Assessment) shall discharge their duties in addition to their duties as a teacher. **2.04.05-A** The Dean (Recruitment & Assessment) shall: (i) facilitate the creation of new teaching and non-teaching positions in the University (ii) facilitate the Vice-Chancellor in recruitment process of various teaching and non-teaching positions (iii) facilitate the Vice-Chancellor in assessment and promotion of serving teachers and non-teaching employees of the University. (iv) shall also be responsible for any other task assigned by Vice-Chancellor. **2.04.06-A** The Associate Deans (Recruitment & Assessment) shall assist the Dean (Recruitment & Assessment)

(iv) Dean Admissions:-विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में अद्यतन अधिष्ठाता (प्रवेश) की व्यवस्था नहीं हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में लगभग 18,000 छात्र पढते व शोध करते हैं। नए संस्थाओं के सृजन व नए कार्यक्रमों के संचालन से इसमें सतत वृद्वि हो रही हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्व सहयुक्त महाविद्यालयों की संख्या में बीते दिनों लगभग 200 प्रतिशत की वृद्वि हुई हैं। विश्वविद्यालय ने हाल ही में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था भी लागू की हैं। प्रवेश में गति व पारदर्शिता अत्यन्त आवश्यक है। डिप्लोमा, स्नातक, परास्नातक,पी0एच0डी0 तक की प्रवेश परीक्षा में संचालन व नियमन की महती भूमिका है। व्यवस्था में विकेन्द्रीकृत निर्णय की प्रक्रिया की स्थापना, शैक्षणिक व्यवस्था के सुव्यवस्थित संचालन में सामूहिक सहभागिता के दृष्टिगत भी Dean (Admissions) का विशेष महत्व हैं। अतः विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया में गुणवत्ता में वृद्वि हेतु Dean (Admissions) की नियुक्ति आवश्यक हैं। इस सन्दर्भ में कार्य परिषद द्वारा दिनांक 30.12.2020 के तत्समय प्रस्तुत किये जाने वाले अन्य मद के विनिश्चय सं0 01 के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान किया जा चुका हैं।

अतः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) की धारा 49(c), 50(2) एवं 50(4) के अन्तर्गत अधिष्ठाता (प्रवेश) के पद को विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमावली के Chapter II A के परिनियम 2.05.01 से 2.05.07 के रुप में निम्नानुसार स्थापित किया जाना उचित हैः–

क्रम सं0	विद्यमान परिनियम की स्थिति	परिनियम में स्थापना का प्रस्ताव
1.	पूर्व से विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में स्थापित नहीं हैं।	**2.05.01-A** The Vice-Chancellor shall appoint a Dean (Admissions) who shall not be below the rank of Professor from the University. **2.05.02-A** The Dean (Admissions) shall hold office for a period which shall be Co-terminus with that of the Vice-Chancellor. However, it shall be the prerogative of the Vice-Chancellor to appoint a New Dean (Admissions) during his tenure. **2.05.03-A** The posts of Dean (Admissions) shall be Honorary in nature **2.05.04-A**The Dean (Admissions) shall discharge his/her duties in addition to the duties as a teacher. **2.05.05-A** Dean (Admissions) shall be a member of the Admissions Committee and the Examinations Committee **2.05.06-A** **(i)**The Dean (Admissions) shall assist the Vice-Chancellor on admission issues and develope admission policies as required. **(ii)**The Vice-Chancellor can assign any other matter to Dean (Admissions). **2.05.07-A** There shall be Admission coordinator's from amongst the faculty members nominated by the Vice-Chancellor to assist Dean Admissions. Number of coordinator's shall be the prerogative of the Vice-Chancellor as per the requirement.

(v) Director (Second Campus):-लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के पुराने (मुख्य) परिसर एवं द्वितीय परिसर के मध्य लगभग 09 कि0मी0 की दूरी हैं, लेकिन शहर के मध्य में होने के कारण यात्रा में 30 मिनट से लेकर 50 मिनट तक का समय लगता हैं, जिससे द्वितीय परिसर में उत्पन्न होने वाली दिन–प्रतिदिन की आवश्यकताओं एवं समस्याओं के

निदान हेतु वहॉ के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को पुराने (मुख्य) परिसर में आना पड़ता हैं, जिससे श्रम एवं धन के अपव्यय के साथ कार्यो में विलम्ब तथा विद्यार्थियों/शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ता हैं। इस समस्या के निराकरण हेतु द्वितीय परिसर की प्रशासनिक आवश्यकताओं के त्वरित निस्तारण हेतु विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसरों में से अवैतनिक निदेशक (द्वितीय परिसर) की नियुक्ति उचित हैं, जिससे कोई वित्तीय अधिभार नहीं सृजित होगा। व्यवस्था में विकेन्द्रीकृत निर्णय प्रक्रिया की स्थापना, शैक्षणिक व्यवस्था के सुव्यवस्थित संचालन व्यवस्था में सामूहिक सहभागिता के दृष्टिगत भी Director (Second Campus) का विशेष महत्व हैं। इस सन्दर्भ में कार्य परिषद द्वारा दिनांक 20.03.2020 को विनिश्चय सं0 08 के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान किया जा चुका हैं। अतः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) की धारा 49(c), 50(2) एवं 50(4) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमावली के Chapter II A के परिनियम 2.06.01 से 2.06.05 के रुप में निम्नानुसार स्थापित किया जाना उचित हैः–

क्रम सं0	विद्यमान परिनियम की स्थिति	परिनियम में स्थापना का प्रस्ताव
1.	पूर्व से विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में स्थापित नहीं हैं।	**2. 06.01-A** The Vice-Chancellor shall appoint a Director (Second Campus) who shall not be below the rank of Professor from amongst the teachers of the University. **2.06.02-A** The Director (Second Campus) shall hold office for a period which shall be Co-terminus with that of the Vice-Chancellor. However, it shall be the prerogative of the Vice-Chancellor to appoint a new Director (Second Campus) during his tenure. **2.06.03-A** The post of Director (Second Campus) shall be Honorary in nature **2.06.04-A** The Director (Second Campus) shall discharge his duties in addition to his/her duties as a Professor. **2.06.05-A** The Director (Second Campus) shall facilitate the Vice Chancellor in respect of such matters relating to the second campus, as may be specified by the Vice Chancellor from time to time and shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned or delegated to him/her by the Vice Chancellor.

क्रम संख्या (i) से (iv) तक के उपर्युक्त प्रस्ताव पर परिषद ने सम्यक्विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथासंशोधित) की धारा–50(2) के अर्न्तगत अनुमोदन प्रदान करते हुए अधिनियम की धारा–50(4) के अधीन माननीया कुलाधिपति महोदया द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करने हेतु प्रेषित करने का निर्देश दिया।

विनिश्चय संख्या 07:– विश्वविद्यालयों के विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु **'साक्षात्कार में पादर्शिता'** के संदर्भ में सभी विश्वविद्यालयों में एक समान चयन प्रक्रिया लागू करने के लिए गठित 05 कुलपतियों की समिति की बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों द्वारा सभी विश्वविद्यालयों में एक समान चयन प्रक्रिया को लागू करने की सहमति व्यक्त की गयी। उक्त क्रम में उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु **'साक्षात्कार में पारदर्शिता'** लाने के उद्देश्य से प्रक्रिया अपनाने के संबंध में निर्गत राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या ई–3019/32–जी0एस0/2020, दिनांक 18.05.2021 परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 08:– निम्नलिखित महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्तावानुसार निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुतः–

1.	मॉ कमला देवी श्री पीताम्बरा विद्यापीठ, ग्रामः पारा, पोस्टः धोंधी, जिलाः सीतापुर।	बी0एड0 (100 सीट)	स्थायी सहयुक्तता सत्र 2021–22 से प्रदान किये जाने हेतु।
2.	दिव्य कृपाल पी0जी0 कालेज, गोकवा मल्लावॉ, हरदोई	बी0एड0 (50 सीट)	स्थायी सहयुक्तता सत्र 2021–22 से प्रदान किये जाने हेतु।
3.	विमला देवी रवीन्द्र कुमार शिक्षा एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय,रूदामऊ,माधौगंज, हरदोई।	बी0एड0 (50 सीट)	स्थायी सहयुक्तता सत्र 2021–22 से प्रदान किये जाने हेतु।

मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 09:– प्रो0 शीला मिश्रा, सांख्यिकी विभाग को University of North Carolina, Greensboro. U.S.A. के गणित एवं सांख्यिकी विभाग में Visiting Professor के रूप में कार्यभार ग्रहण करने हेतु परिनियम 08.02 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 01.08.2021 से एक वर्ष के लिए अध्ययन अवकाश (Sabbatical leave) स्वीकृत करने के सम्बन्ध में निर्गत पत्र संख्या टी–7541–45 दिनांक 05.06.2021 परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा चर्चा एवं विचार विमर्श के बाद सम्यक विचारोपरान्त प्रो0 शीला मिश्रा, सांख्यिकी विभाग को University of North Carolina, Greensboro. U.S.A. के गणित एवं सांख्यिकी विभाग में Visiting Professor के पद पर कार्यभार ग्रहण करने एवं कार्यमुक्ति तिथि का स्पष्ट विवरण सहित प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के पश्चात अवकाश स्वीकृति पर विचार करने एवं निर्णय लेने हेतु मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

विनिश्चय संख्या 10:– एम0 फिल एवं शोध शोधार्थियों के शोध ग्रन्थ जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 30.06.2021 से विस्तारित करते हुए दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 किये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या F.No.1-10/2020(CPP-II) परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 11:– लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया परास्नातक अध्यादेश परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) की धारा 50(2) के अधीन अनुमोदन प्रदान किया गया तथा धारा 50(4) के अधीन माननीया कुलाधिपति से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।

विनिश्चय संख्या 12:– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने के संबंध में अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा निर्गत पत्रांकः मेमो/रा0उ0शि0प0/15/2020 दिनांक 05 जून, 2021 परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 13:– परीक्षा समिति की दिनांक 10.06.2021 को प्रस्तावित की बैठक का कार्यवृत्त परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 14:– कुलपति महोदय के आदेश के अनुपालन में लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वितीय परिसर मे Institute of Pharmaceutical Science खोले जाने के संबंध में निर्गत पत्र संख्या संख्या आर/390/21 दिनांक 26.05.2021 एवं सीमॉकित भूमि आवंटन (कुल क्षेत्रफल 9600.00 वर्ग मीटर अर्थात 2.37 एकड़) के संबंध में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या आर/391/21 दिनांक 26.05.2021 परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद उक्त से संज्ञानित हुयी तथा सर्वसम्मति से कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से तत्समय प्रस्तुत किये गये मद की कार्यवाही

विनिश्चय संख्या 01:– विनियमितीकरण नियमावली–2016 में वर्णित प्राविधानों/प्रतिबन्धों के अधीन लखनऊ विश्वविद्यालय में अनानुमोदित रूप में कार्यरत कर्मचारियों के विनियमितीकरण हेतु पूर्व में तैयार की गई 127 कर्मचारियों की सूची मे से क्रम संख्या 116 तक के कर्मचारियों का विनियमितीकरण हो चुका है। उक्त सूची के क्रमांक 117 पर नैत्यिक लिपिक पद पर मात्र 01 कर्मचारी श्री बच्चा सिंह, कुलसचिव कार्यालय का विनियमितीकरण होना शेष है। इस सम्बन्ध में विनियमितीकरण हेतु गठित समिति की दिनांक 10.06.2021 को सम्पन्न बैठक में श्री बच्चा सिंह को कनिष्ठ सहायक के पद पर विनियमितीकरण किये जाने हेतु समिति की संस्तुति परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

प्रकरण पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त मा0 कार्य परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के विनियमितिकरण नियमावली–2016 के अधीन श्री बच्चा सिंह की उक्त पद की निर्धारित पात्रता की पुष्टि के उपरान्त कनिष्ठ सहायक के पद पर विनियमित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

विनिश्चय संख्या 02:– प्रो0 पूनम टण्डन, भौतिक विभाग को Fulbright:-Nehru Academic and Professional Excellence fellowship हेतु University of Vermont Burlington में शोध कार्य पूर्ण करने हेतु परिनियम 08.02 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2021 से 31.08.2021 तक के लिए अध्ययन अवकाश (Sabbatical leave) स्वीकृत करने के सम्बन्ध में निर्गत पत्र संख्या टी–7168 दिनांक 31.05.2021 परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा चर्चा एवं विचार विमर्श के बाद सम्यक विचारोपरान्त प्रो0 पूनम टण्डन, भौतिक विभाग को Fulbright:-Nehru Academic and Professional Excellence fellowship हेतु University of Vermont Burlington में शोध कार्य पूर्ण करने हेतु अवकाश प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

विनिश्चय संख्या 03:– निम्नलिखित महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्तावानुसार निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुतः–

1.	श्री महावीर प्रसाद, महिला महाविद्यालय, सूर्यनगर, राजाजीपुरम, लखनऊ।	बी0एल0एड0	स्थायी सहयुक्तता सत्र 2021–22 से प्रदान किये जाने हेतु।
2.	भगवान देवी मैकूलाल महाविद्यालय, बलजीतपुरवा, गौंतरा, हरदोइ	बी0एड0 (50 सीट)	स्थायी सहयुक्तता सत्र 2021–22 से प्रदान किये जाने हेतु।

मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

तत्पश्चात कुलपति/अध्यक्ष द्वारा समस्त सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

11/06/21

डॉ0 विनोद कुमार सिंह
कुलसचिव/पदेन सचिव

11/06/21

प्रो0 आलोक कुमार राय
कुलपति/पदेन अध्यक्ष